

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
	भारत विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 200	62,50,000	62,50,200
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 2,00,00,000	0	2,00,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 2,00,00,500	0	2,00,00,500
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व 100	0	100
10	वन	राजस्व 100	73,05,288	73,05,388
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी 1,200	0	1,200
13	कृषि	राजस्व 1,800	33,00,000	33,01,800
		पूंजी 100	0	100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी 20,00,00,000	0	20,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व 200	0	200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व 5,11,51,200	0	5,11,51,200
		पूंजी 35,46,67,000	0	35,46,67,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व 0	63,85,000	63,85,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी 2,400	10,00,00,000	10,00,02,400
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 34,00,000	0	34,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व 300	0	300
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व 5,00,000	0	5,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व 2,50,00,300	37,84,298	2,87,84,598
		पूंजी 3,16,15,000	0	3,16,15,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,24,54,90,000	0	1,24,54,90,000
34	समाज कल्याण	राजस्व 10,00,000	0	10,00,000
36	परिवहन	पूंजी 100	0	100
37	पर्यटन	पूंजी 97,50,00,000	0	97,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 1,33,44,71,700	0	1,33,44,71,700
		पूंजी 29,78,83,000	0	29,78,83,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व 37,00,000	0	37,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी 50,00,00,000	0	50,00,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व 1,000	0	1,000
56	ग्रामोद्योग	पूंजी 19,50,00,000	0	19,50,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व 1,700	0	1,700
		पूंजी 2,09,00,000	0	2,09,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व 25,00,00,000	0	25,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	से अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व 100	0	100
		पूंजी 9,50,00,100	0	9,50,00,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी 53,61,000	0	53,61,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 100	0	100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 200	0	200
		पूंजी 30,00,00,000	0	30,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी 1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी 50,00,00,000	0	50,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	पूंजी 50,00,00,000	0	50,00,00,000
योग	राजस्व	2,95,47,19,700	2,70,24,686	2,98,17,44,386
	पूंजी	4,97,54,29,900	10,00,00,000	5,07,54,29,900
वृहद योग		7,93,01,49,600	12,70,24,686	8,05,71,74,286